



कल्याण जयते

कुलाधिपति
Chancellor

डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद
विश्वविद्यालय,
University,
राज भवन, जयपुर - 302006
Raj Bhawan, Jaipur

क्रमांक: एफ.30(2)आरबी / 2015 /
दिनांक फरवरी, 2019

आदेश

प्रो०(डॉ०) राधेश्याम शर्मा को राजभवन के आदेश क्रमांक एफ.30(2)आरबी / 2015 / 1172 दिनांक 12.02.2016 द्वारा डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के कुलपति के पद पर कार्यभार संभालने की तिथि से तीन वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया था। डॉ० शर्मा द्वारा कुलपति के पद का कार्यभार दिनांक 19.02.2016 (मध्याह्न पूर्व) को ग्रहण किया गया था।

डॉ०. शर्मा की कुलपति के पद की सेवा अवधि दिनांक 18.02.2019 को पूर्ण होने जा रही है। उक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम 2002 (यथा संशोधित 2018) की धारा 24(3) के अंतर्गत नियमित कुलपति की नियुक्ति में समय लगने की संभावना है।

अतः मैं, कल्याण सिंह, कुलाधिपति, डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर उक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम 2002 (यथा संशोधित 2018) की धारा 24 (10) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार की सलाह पर प्रो० बलराज सिंह, कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर को अस्थाई व्यवस्था (stop-gap arrangement) अन्तर्गत अतिरिक्त प्रभार के रूप में डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के कुलपति पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए निर्देशित करता हूँ।

— sd —

(कल्याण सिंह)

राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति

क्रमांक: एफ.30(2)आरबी / 2015 / 1694

दिनांक 18 फरवरी, 2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार।
4. प्रो० बलराज सिंह, कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
5. डॉ० राधेश्याम शर्मा, कुलपति, डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
6. कुलसचिव, डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
- ✓ 7. कुलसचिव, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।



प्रभारी अधिकारी, उच्च शिक्षा